

# अंत्योदय सरल



## पशुपालन और डेयरी

## स्वदेशी गौवंश के संरक्षण और विकास हेतु (गौसंवर्धन) तथा

### एकीकृत मुर्राह विकास योजना

#### योग्यताः

- 1. आवेदक हरियाणा का निवासी एवं 18 से 55 वर्ष तक की आयु का होना चाहिए।
- किसी भी समूह / फर्म / संगठन को योजना के तहत आवेदन करने की अनुमित नहीं होगी, क्योंकि यह योजना व्यक्तिगत लाभार्थी उन्मुख है।
- 3. इस योजना के अन्तर्गत प्रति आवेदक अधिकतम दो दुधारू (देसी नस्ल की गायों / मुर्राह भैंस) पर प्रोत्साहन राशि का पात्र होगा।
- 4. देसी गार्यों का हरयाना, साहीवाल अथवा बेलाही नस्ल व भैंस का मुर्राह नस्त का होना अनिवार्य है।
- 5. किसी विशेष दुधारू पशु के लिए प्रोत्साहन राशि जीवनकाल में केवल दो बार ली जा सकती है। यानि कि अगर दो बार एक दुधारू पशु के लिए कोई किसान प्रोत्साहन राशि ले चुका है तो उससे आगे किसी भी ब्यांत में वह पशु प्रोत्साहन राशि के लिए योग्य नहीं होगा।

नोटः प्रति आवेदक के अधिकतम दो दुधारू पशु (देसी नस्त की गायों / मुर्राह भैंस) इस योजना के तहत प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र होंगे। हालांकि, उत्तम नस्त की देशी गायों / मुर्राह भैंस का विवरण (डाटा) एकत्र करने हेतु किसी भी किसान से संबंधित सभी / जितना सम्भव हो, उतने पशुओं की दुध रिकार्डिंग की जा सकती है। परन्तु उस आवेदक को प्रोत्साहन राशि किसी निश्चित वर्ष में केवल दो दुधारू पशुओं (देसी नस्त की गायों / मुर्राह भैंस, उच्चलम स्तैब में) के लिए प्रदान की जाएगी।

#### मिलने वाला लाभः

इस योजना के अन्तर्गत हरयाना, साहीवाल और बेलाही नस्ल की सभी गायें व मुर्राह भैंस, जो अधिकतम दुग्ध पैदावार के न्यूनतम मानकों को पूरा करती हैं, उनकी सन्तति (संतान) सहित पूरी पहचान (कान के टैग सहित) की जाएगी और इन दुधारू पशुओं के मालिकों को



# अंत्योदय सरल



5,000/- रूपये से 20,000/- रूपये (देशी गायों के लिए) व 15,000/- रूपये से 30,000/- रूपये (मुर्राह भैंस के लिए) तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। चुनी गई गायों व मुर्राह भैंसों के दुग्ध उत्पादन को रिकार्ड करने उपरांत चार महीने बाद पशु मालिकों को विभिन्न श्रेणियों (ख्लैब) पर निम्नलिखित दरों अनुसार प्रोत्साहन राशि दी जाएगी:-

सहीवाल गाय		
अधिकतम दुग्ध उत्पादन की श्रेणी	प्रोत्साहन राशि (रूपये)	
(किलोग्राम में)		
10 से 12	10,000/-	
>12 से 15	15,000/-	
१५ से अधिक	20,000/-	

हरयाना गाय		
अधिकतम दुग्ध उत्पादन की श्रेणी (किलोग्राम में)	प्रोत्साहन राशि (रूपये)	
8 ਦੇ 10	10,000/-	
>10 ਦੇ 12	15,000/-	
12 से अधिक	20,000/-	

बेलाही गाय		
अधिकतम दुग्ध उत्पादन की श्रेणी	प्रोत्साहन राशि (रूपये)	
(किलोग्राम में)		
5 से 8	5,000/-	
>8 ਦੇ 10	10,000/-	
१० से अधिक	15,000/-	

मुर्राह भैंस		
अधिकतम दुग्ध उत्पादन की श्रेणी (किलोग्राम में)	प्रोत्साहन राशि (रूपये)	
18 से 22	15,000/-	
>22 ਲੇ 55	20,000/-	
25 से अधिक	30,000/-	



# अंत्योदय सरल



प्रदान की गई प्रोत्साहन राशि के एवज में पशुपालक पर यह दायित्व होगा कि वह दर्ज की गई स्वदेशी गाय/मुर्राह भैंस व उसकी नर संतान को कम से कम एक वर्ष तक न बेचे। लाभार्थी पशुपालक नर बछडे/कटड़े की ठीक से रख रखाव के लिए बाध्य होगा और विभाग के पास उसे खरीदने का पहला अधिकार होगा। अगर लाभार्थी उपरोक्त अनुबंध का पालन नहीं करता है तो वह नकद प्रोत्साहन के अलए पात्र नहीं होगा। पशुपालक द्वारा अपनी दर्ज की गई स्वदेशी गाय/मुर्राह भैंस का प्रजनन कृत्रिम गर्भादान द्वारा करवाना अनिवार्य होगा।

#### आवश्यक दस्तावेजः

- 1. परिवार पहचान पत्र (PPP ID) (अनिवार्य)
- 2. पैनकार्ड (अनिवार्य)
- 3. बैंक पास बुक अथवा रद्द किया हुआ चैक अपलोड करें (अनिवार्य)

#### सेवा शुल्कः

सरकारी शुल्क	केन्द्र सेवा शुल्क	अटल सेवा केन्द्र (सी.एस.सी.) सेवा शुल्क
कोई शुल्क नहीं	10/- रूपये	10/- रूपये

आरटीएस समय सीमाः आवेदक द्वारा आवेदन के ३० दिन के अन्दर - अन्दर।